



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 138 राँची, सोमवार,

13 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

3 फरवरी, 2023

संख्या-3/प्रोन्नति-02-01/2022 का. 701--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 675 दिनांक 02.02.2023 के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के कुल 64 पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 15,600-39,100/- ग्रेड पे 6600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-11) से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 15,600-39,100/- ग्रेड पे 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया गया है ।

उक्त अधिसूचना ज्ञापांक के क्रम संख्या-3 में त्रुटिवश श्री सुधीर कुमार दास, झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 741/03, गृह जिला-देवघर), अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया, चतरा को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है, जबकि श्री दास को विभागीय संकल्प संख्या 5049(HRMS) दिनांक 10.05.2022 के द्वारा दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है। झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधान के अनुसार उक्त दण्ड का कुप्रभाव दिनांक 30.06.2024 तक पड़ेगा ।

झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधान के अनुसार दण्ड के कुप्रभाव में प्रोन्नति नहीं प्रदान किया जाना है। अतः श्री दास को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रदान की गई प्रोन्नति वापस ली जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव।
